## प्रकरण क्रमांक 100/13 शा0प्0मौ बनाम रामरनेही

19.11.16 राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०। आरोपी को जारी जमानतीय बारंट अदम या बाद इस न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं पुनः जारी हो । प्रकरण आरोपी की उपस्थिज्ञिति हेतु दिनांक 21 जनवरी 2017 को पेश हो ।

> सही / – गोपेश गर्ग जे०एम०एफ०सी०गोहद्

पुनश्च:-

आरक्षी केन्द्र मौ की ओर से आरोपी रामसनेही पुत्र घनश्याम शर्मा आयु 63 साल निवासी नितिन नगर थाटीपुर मुरार ग्वालियर का न्यायालय द्वारा जारी गिरफतारी बारंट के अनुपालन में इस टीप के साथ प्राप्त कि बारंटी की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके साथ छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी ।

उक्त गिरफतारी बारंट अभिलेख संलग्न कर प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि रामसनेही प्रकरण में अभियुक्त है तथा प्राप्त प्रति के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी रामस्नेही की मृत्यु हो चुकी है अतः उसे मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर फोत घोषित किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

> सही / — गोपेश गर्ग जे०एम०एफ०सी०गोहद,